NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 25-02-2026

विषय सूची

संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के चार राज्यों में सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ

वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की कि प्रतिरोध के बावजूद एचआईवी कैप्सिड एक प्रभावी औषधि लक्ष्य

ग्रामीण भारत के रूपांतरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका

अश्लील सामग्री हेतु ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों का अवरोधन

विदेशी मादक पदार्थ अपराधियों के शीघ्र निर्वासन हेतु केंद्र का निर्देश

संक्षिप्त समाचार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के 75 वर्ष

किशोरियों हेतु निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान

भारत में कॉफी–चिकोरी लेबलिंग के नए नियम

केरल का परिवर्तित नाम केरलम

न्यायोचित दंड का सिद्धांत

भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI)

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मछली पकड़ने हेतु एक्सेस पास का राष्ट्रीय शुभारंभ

धर्म गार्जियन अभ्यास

कार्यात्मक विविधता

संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के चार राज्यों में सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र ने चार राज्यों के साथ साझेदारी में सड़क सुरक्षा वित्तपोषण ढाँचे हेतु एक परियोजना का शुभारंभ किया।

परिचय

- यह परियोजना राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक कार्यालय के निर्देशन में लागू की जाएगी।
- परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्षमता निर्माण करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं गंभीर चोटों (जो विकलांगता का कारण बनती हैं) को कम करना है।
- इस परियोजना का वित्तपोषण संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कोष द्वारा किया जाएगा।

सड़क यातायात मृत्यु

- **वैश्विक स्तर पर:** विश्व 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु एवं चोटों को कम-से-कम 50% घटाने की प्रतिबद्धता (सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2021-2030) को पूरा करने की दिशा में अग्रसर नहीं है।
  - विश्व बैंक के अनुसार, आजीवन घायल रहने वाले व्यक्तियों के कारण सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 7% प्रभावित होता है।
- **भारत:** भारत वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु संख्या के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अनुमानतः प्रति वर्ष 1,53,972 लोगों की मृत्यु होती है, मृत्यु दर 15.4 प्रति 100,000 (WHO)।
- दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में उच्च वाहन घनत्व, कमजोर यातायात प्रबंधन तथा संकरी सड़कों पर कार, मोटरसाइकिल, रिक्शा एवं पैदल यात्रियों के साझा उपयोग के कारण दुर्घटनाओं की अधिकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या भिन्न है: आपातकालीन प्रतिक्रिया समय लंबा होने और आघात चिकित्सा तक सीमित पहुँच के कारण बचाई जा सकने वाली दुर्घटनाएँ भी घातक हो जाती हैं।
- **आर्थिक हानि:** परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है और राष्ट्र को GDP का 3% से अधिक वार्षिक आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, 2010:** बेहतर सड़क अवसंरचना, यातायात नियमों का सख्त प्रवर्तन, उन्नत आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ, जन-जागरूकता अभियान और दुर्घटना पश्चात देखभाल पर बल।
- **e-DAR / iRAD:** सड़क दुर्घटना डेटा के केंद्रीकृत रिपोर्टिंग, प्रबंधन एवं विश्लेषण हेतु प्रणाली।
- **दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता:**
  - दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले "गुड समैरिटन" को ₹25,000 का पुरस्कार।
  - **शीघ्र मुआवजा:** गंभीर चोट हेतु ₹2.5 लाख, मृत्यु हेतु ₹5 लाख।
  - हिट-एंड-रन पीड़ितों के लिए उन्नत मुआवजा: मृत्यु हेतु ₹2 लाख, गंभीर चोट हेतु ₹50,000।
  - तृतीय-पक्ष बीमा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, किराए पर लिए गए चालकों सहित।
- **वाहन फिटनेस:** पुराने एवं अनुपयुक्त वाहन दुर्घटनाओं में योगदान करते हैं। मंत्रालय 2024 तक 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मॉडल निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र स्थापित कर रहा है।
- **आईआईटी मद्रास सहयोग:** सड़क सुरक्षा हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, नए उत्पादों का विकास, अनुसंधान एवं सुरक्षा पहलों को बढ़ावा।
- **दुर्घटना ब्लैकस्पॉट सुधार:** राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-प्रवण स्थलों की पहचान एवं इंजीनियरिंग उपायों द्वारा सुधार।
- **सड़क सुरक्षा ऑडिट:** सभी राजमार्ग परियोजनाओं में डिजाइन, निर्माण एवं संचालन चरणों पर अनिवार्य ऑडिट।
- **ब्रासीलिया घोषणा, 2015:** भारत ने 100+ देशों के साथ हस्ताक्षर कर सतत विकास लक्ष्य 3.6 हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसका उद्देश्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मृत्यु एवं चोटों को आधा करना है।

- **मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:** यातायात उल्लंघनों जैसे तीव्र गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट/सीट बेल्ट न पहनना आदि पर अधिक दंड।

आगे की राह

- भारत का सड़क नेटवर्क 6.6 मिलियन किलोमीटर से अधिक विस्तारित है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। चुनौती विशाल है, परंतु समाधान संभव है।
  - बेहतर अवसंरचना, यातायात नियमों का सख्त प्रवर्तन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का व्यापक उपयोग, तथा उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली प्रतिवर्ष हजारों जीवन बचा सकती है।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ दर्शाती हैं कि जिन देशों ने "सिस्टम्स अप्रोच" अपनाया, वे 50% मृत्यु कमी लक्ष्य प्राप्त करने या उसके निकट पहुँचने में सफल रहे।
- भारत ने आईआईटी एवं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) जैसे प्रमुख संस्थानों के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर पर्याप्त अनुसंधान किया है।
  - सरकार इन संस्थानों के साथ सहयोग कर नीतियों एवं कार्ययोजनाओं को सुदृढ़ कर सकती है।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र भी अनुसंधान को वित्तपोषित कर एवं जन-जागरूकता फैलाकर सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में योगदान दे सकता है।

स्रोत: TH

वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की कि प्रतिरोध के बावजूद एचआईवी कैप्सिड एक प्रभावी औषधि लक्ष्य

संदर्भ

- एक नए अध्ययन में पाया गया है कि *लेनाकापाविर* नामक औषधि से बचने के लिए एचआईवी को अपने ही एक घटक — कैप्सिड — को क्षति पहुँचानी पड़ती है।

समाचार के बारे में

- लेनाकापाविर एचआईवी कैप्सिड प्रोटीन को अवरुद्ध करता है, जिससे विषाणु का प्रतिकृति-निर्माण रुक जाता है। इसे वर्ष में केवल दो बार त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह द्विवार्षिक खुराक दैनिक मौखिक प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) गोलियों की तुलना में अनुपालन को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाती है।
- हाल ही में ज़िम्बाब्वे ने लेनाकापाविर को दीर्घ-अवधि इंजेक्टेबल PrEP विकल्प के रूप में लागू किया है, जो उच्च-भार वाले क्षेत्रों में अनुपालन जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करता है।

पृष्ठभूमि

- **प्रथम एचआईवी औषधि:** 1987 में, एचआईवी को एड्स का कारणकारी एजेंट घोषित किए जाने के चार वर्ष बाद, वैज्ञानिकों ने *ज़िडोव्यूडीन* नामक प्रथम प्रभावी औषधि की खोज की।
- ज़िडोव्यूडीन ने *रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़* नामक विषाणु एंजाइम को लक्षित किया और विषाणु को जीवन-चक्र पूरा करने से रोका।
- किंतु एचआईवी ने शीघ्र ही प्रतिरोध विकसित कर लिया, जिससे औषधि की प्रभावशीलता कम हो गई।
- **औषधियों का विकास:** इस अंतर्दृष्टि ने विभिन्न विषाणु प्रोटीनों — रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़, प्रोटीएज़ और इंटीग्रेज़ — को लक्षित करने वाली अनेक एंटीरेट्रोवायरल औषधियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
  - इससे संयोजन चिकित्सा की नींव पड़ी, जिसने विषाणु को अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक रूप से दबाने में सहायता की।
- **लेनाकापाविर:** अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने लेनाकापाविर को विश्व की प्रथम कैप्सिड-आधारित एचआईवी अवरोधक औषधि के रूप में अनुमोदित किया।
- इसे पेट की त्वचा के नीचे छह माह में एक बार इंजेक्ट किया जाता है और यह निरंतर रक्त प्रवाह में औषधि पहुँचाता है।
- नैदानिक परीक्षणों में इसने उच्च-जोखिम व्यक्तियों में एचआईवी संक्रमण को 100% प्रभावशीलता के साथ रोका।

एचआईवी/एड्स

- **एचआईवी:** मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण करता है।
  - यह श्वेत रक्त कोशिकाओं को लक्षित कर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जिससे तपेदिक,

संक्रमण और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

- **एड्स:** अधिग्रहीत इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) संक्रमण का सबसे उन्नत चरण है।
- **संक्रमण का प्रसार:** एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रवों — रक्त, स्तन दूध, वीर्य और योनि द्रव — से फैलता है। यह माँ से शिशु तक भी पहुँच सकता है।
- **उपचार:** एचआईवी संक्रमण का कोई उपचार नहीं है। इसे एंटीरेट्रोवायरल औषधियों से नियंत्रित किया जाता है, जो शरीर में विषाणु की प्रतिकृति को रोकती हैं। अनुपचारित एचआईवी वर्षों बाद एड्स में परिवर्तित हो सकता है।

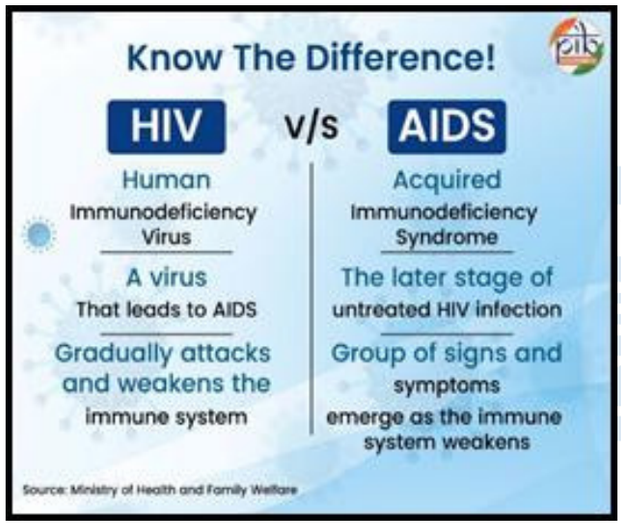

क्या आप जानते हैं?

- *विश्व एड्स दिवस* प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- इसे पहली बार 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मनाया गया।
- **विषय 2025:** *विघटन पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया का रूपांतरण*।
  - यह विषय महामारी, संघर्ष और असमानताओं से उत्पन्न व्यवधानों को दूर कर देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

भारत में एचआईवी/एड्स

- संक्रमण दर 2010 में 0.33% से घटकर 2024 में 0.20% हो गई है।
- भारत की प्रसार दर वैश्विक औसत 0.7% से काफी कम है।
- भारत में नए संक्रमण वैश्विक कुल (2024 में 1.3 मिलियन) का केवल लगभग 5% हैं।

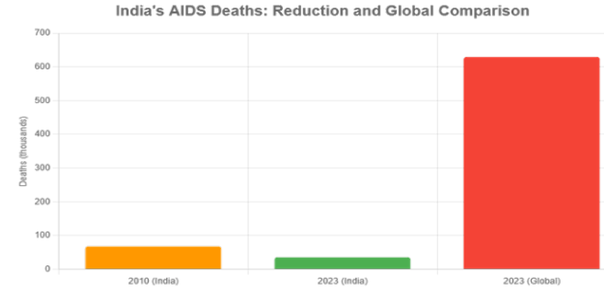

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)

- यह पाँच चरणों में विकसित हुआ है, जिसमें बुनियादी जागरूकता से लेकर व्यापक रोकथाम, परीक्षण, उपचार और स्थायित्व तक की रणनीतियाँ शामिल हैं।
- **NACP I (1992–1999):** भारत का प्रथम व्यापक एचआईवी/एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम।
  - ***उद्देश्य:*** एचआईवी के प्रसार को धीमा करना और एड्स से होने वाली रोगग्रस्तता एवं मृत्यु दर को कम करना।
- **NACP II (1999–2006):** एचआईवी/एड्स से निपटने हेतु दीर्घकालिक राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करना।
- **NACP III (2007–2012):** 2012 तक एचआईवी महामारी को रोकना और उलटना।
  - ***रणनीति:*** उच्च-जोखिम समूहों (HRGs) और सामान्य जनसंख्या में रोकथाम का विस्तार।
- **NACP IV (2012–2017):** नए संक्रमणों में 50% कमी (2007 आधाररेखा की तुलना में)।
  - ***विस्तार (2017–2021):*** 2030 तक एड्स समाप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना।
- मुख्य पहल:
  - एचआईवी/एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 — एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पर प्रतिबंध।

- *मिशन संपर्क* — एआरटी (ART) छोड़ चुके एचआईवी पीड़ितों को पुनः उपचार से जोड़ना।
- नियमित सार्वभौमिक वायरल लोड निगरानी।

- **NACP V (2021–2026):** केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में प्रारंभ।
  - ***लक्ष्य:*** संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3.3 का समर्थन करते हुए 2030 तक एचआईवी/एड्स महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना।

निष्कर्ष

- भारत में एड्स की गिरावट वैश्विक औसत से अधिक स्पष्ट है। इसका श्रेय व्यापक परीक्षण, एंटीरेट्रोवायरल चिकित्सा तक बेहतर पहुँच, उच्च-जोखिम समूहों पर केंद्रित प्रयासों और कलंक से लड़ने वाली पहलों को जाता है। ये सभी राज्य एवं समुदायों के सहयोग से लागू किए गए हैं।

स्रोत: TH

ग्रामीण भारत के रूपांतरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका

संदर्भ

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भारत में समावेशी ग्रामीण विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाली एक आधारभूत तकनीक के रूप में उभर रही है।

ग्रामीण भारत में एआई के अनुप्रयोग

- **ग्रामीण परिसंपत्तियों का भू-स्थानिक निगरानी:** *भूप्रहरी* जैसे एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्रों का उपयोग कर ग्रामीण परिसंपत्तियों — जैसे सड़कें, जल संचयन संरचनाएँ (अमृत सरोवर), और भवन — के निर्माण एवं रखरखाव का पता लगाते हैं, जिससे मैनुअल निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त होती है।
- **डिजिटल श्रमसेतु मिशन:** यह एक समन्वित पहल है जो असंगठित क्षेत्र में एआई और अन्य अग्रणी तकनीकों को लागू करती है। नियामक ढाँचे और प्रभाव मूल्यांकन के साथ तकनीकी तैनाती को संरेखित कर यह मिशन सेवा वितरण एवं ग्रामीण व असंगठित श्रमिकों के आजीविका समर्थन को सुदृढ़ करता है।
- **कृषि में एआई अवसंरचना:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने *किसान ई-मित्र* जैसी पहल के माध्यम से एआई को लागू किया है। यह एक वर्चुअल सहायक है जो सरकारी योजनाओं, विशेषकर आय समर्थन कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करता है।
- **ग्रामीण विकास में एआई का प्रोत्साहन:** मध्य प्रदेश का *सुमन सखी* व्हाट्सएप चैटबॉट एआई-सक्षम संवादात्मक उपकरणों का उपयोग कर महिलाओं और परिवारों को मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सुलभ कराता है।
- **भाषाई समावेशन एवं बहुभाषी शासन हेतु एआई:** एआई भारत में भाषाई पहुँच का विस्तार कर रहा है, जिससे ग्रामीण, दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के नागरिक डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बना पा रहे हैं।
  - ***भाषिणी* (जुलाई 2022):** एआई-संचालित राष्ट्रीय भाषा मंच, जो डिजिटल सेवाओं तक पहुँच में भाषाई बाधाओं को कम करता है। यह 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद, स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-स्पीच और वॉयस-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
  - ***भारतजेन* (2025):** भारत का प्रथम सरकारी वित्तपोषित सार्वभौमिक बड़ा भाषा मॉडल (LLM), जिसे विशेष रूप से भारतीय भाषाई एवं सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - ***आदि वाणी:*** एआई-सक्षम मंच, जो दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों की संचार चुनौतियों का समाधान करता है।

समावेशी विकास हेतु राष्ट्रीय एआई नीति ढाँचा

- 2018 में नीति आयोग द्वारा *राष्ट्रीय एआई रणनीति* प्रारंभ की गई, जिसने एआई को भारत की विकासात्मक चुनौतियों से निपटने हेतु एक रूपांतरणकारी उपकरण के रूप में पहचाना।
- रणनीति ने उच्च सामाजिक प्रभाव वाले क्षेत्रों — कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन — को प्राथमिकता दी।
  - इसने वंचित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तक पहुँच, वहनीयता एवं गुणवत्ता सुधार पर बल दिया।
- नीति ने श्रम के प्रतिस्थापन के बजाय मानव क्षमताओं के संवर्धन पर बल दिया। यह डिजिटल कौशल विकास एवं

तकनीक-सक्षम रोजगार के माध्यम से समावेशी आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

भारत एआई शासन दिशानिर्देश

- 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा *भारत एआई शासन दिशानिर्देश* जारी किए गए, जिनका उद्देश्य उत्तरदायी और विश्वसनीय एआई तैनाती सुनिश्चित करना है।
- इस ढाँचे में चार प्रमुख घटक शामिल हैं:
  - नैतिक एवं उत्तरदायी एआई हेतु सात मार्गदर्शक सिद्धांत (सूत्र)।
  - एआई शासन के छह स्तंभों पर प्रमुख अनुशंसाएँ।
  - अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक समयसीमा से जुड़ी कार्ययोजना।
  - उद्योग, डेवलपर्स और नियामकों के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश, ताकि पारदर्शी एवं जवाबदेह एआई तैनाती सुनिश्चित हो सके।

चुनौतियाँ

- **डिजिटल अवसंरचना की कमी:** विश्वसनीय विद्युत , उच्च गति इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी ग्रामीण भारत में असमान रूप से उपलब्ध हैं।
- **कम डिजिटल साक्षरता:** ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा एआई-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने हेतु आवश्यक डिजिटल कौशल से वंचित है।
- **डेटा उपलब्धता:** एआई प्रणालियाँ विश्वसनीय एवं प्रतिनिधिक डेटा की बड़ी मात्रा पर निर्भर करती हैं, जो ग्रामीण संदर्भों में प्रायः दुर्लभ होती है।
- **विभागीय डेटाबेस का विखंडन:** यह एकीकृत निर्णय-निर्माण में बाधा डालता है।
- **उच्च कार्यान्वयन लागत:** एआई प्रणालियों का विकास, तैनाती और रखरखाव पर्याप्त वित्तीय निवेश की माँग करता है।
- **बजटीय सीमाएँ:** ग्रामीण स्थानीय निकायों को अक्सर सीमित बजट और प्रतिस्पर्धी विकास प्राथमिकताओं का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र सहित डिजिटल अवसंरचना का विस्तार।
- नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों में डिजिटल साक्षरता एवं एआई जागरूकता को बढ़ावा देना।
- दुरुपयोग और बहिष्करण रोकने हेतु सुदृढ़ डेटा संरक्षण एवं नैतिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।
- पंचायत स्तर पर एआई अंगीकरण हेतु संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना।

स्रोत: PIB

अश्लील सामग्री हेतु ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों का अवरोधन

संदर्भ

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने मूडएक्सवीआईपी(*MoodXVIP*), *कोयल प्लेप्रो(Koyal Playpro)*, *डिजी मूवीप्लेक्स(Digi Movieplex)*, *फील(Feel)* और जुगनू(*Jugnu*) जैसे पाँच ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों को अश्लील एवं अश्लीलतापूर्ण सामग्री प्रसारित करने के कारण अवरुद्ध करने का आदेश दिया है।

अश्लील सामग्री क्या है?

- "अश्लील सामग्री" उस सामग्री को संदर्भित करती है जो कामुक, यौन रूप से स्पष्ट हो या अश्लील रुचियों को आकर्षित करती हो, और जिसे पढ़ने, देखने या सुनने वाले व्यक्तियों को भ्रष्ट या पतित करने की प्रवृत्ति हो।
- हालाँकि, अश्लीलता को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है; यह विधि, न्यायिक व्याख्या और बदलते सामाजिक मानकों द्वारा आकार ग्रहण करती है।

ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों का नियामकीय विकास

- **प्रारंभिक चरण (नियामकीय शून्यता):** ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म प्रारंभ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) जैसी प्रत्यक्ष सेंसरशिप के बिना संचालित होते थे।
- **आईटी नियम, 2021:** इसने डिजिटल समाचार और ओटीटी को तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत लाया।
  - सामग्री वर्गीकरण अनिवार्य किया गया (U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, A)।
  - वयस्क सामग्री हेतु आयु-आधारित प्रवेश नियंत्रण आवश्यक किया गया।

- **प्रस्तावित आईटी (डिजिटल कोड) नियम, 2026:** मसौदा नियमों में अधिक सशक्त आयु-आधारित वर्गीकरण, अश्लीलता, उकसावे और धार्मिक हमलों पर स्पष्ट मानदंड प्रस्तावित हैं।
  - यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के प्रत्युत्तर में है, ताकि अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

संवैधानिक आयाम

- **अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता):** कलात्मक एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें डिजिटल सामग्री भी शामिल है, की रक्षा करता है।
- **अनुच्छेद 19(2) (युक्तिसंगत प्रतिबंध):** शालीनता या नैतिकता, लोक व्यवस्था, मानहानि, संप्रभुता और अखंडता के आधार पर प्रतिबंध की अनुमति देता है।
  - वर्तमान कार्रवाई राज्य का प्रयास है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युक्तिसंगत प्रतिबंधों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, विशेषकर अश्लीलता एवं नाबालिगों की सुरक्षा के संदर्भ में।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक है, यह पूर्ण नहीं है और इसे संवैधानिक सीमाओं का पालन करना आवश्यक है।

संबंधित विधिक ढाँचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** अवरोधन आदेश *सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच के अवरोधन हेतु प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009* के अनुसार जारी किए जाते हैं।
- **धारा 69A:** केंद्र सरकार को संप्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता सहित कारणों से सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है।
- **धारा 67:** इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रकाशित/प्रेषित करने पर दंड।
- **धारा 67A:** यौन रूप से स्पष्ट सामग्री पर विशेष दंड।
- **महिला अशोभनीय प्रस्तुतीकरण (निषेध) अधिनियम, 1986:** किसी भी रूप में, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सहित, महिलाओं के अशोभनीय चित्रण पर प्रतिबंध लगाता है।

संस्थाओं की भूमिका

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):** इसने बच्चों को प्रभावित करने वाली अश्लील सामग्री को चिन्हित किया और डिजिटल नियमन में बाल संरक्षण आयाम को उजागर किया।
- **न्यायपालिका:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और युक्तिसंगत प्रतिबंधों के प्रवर्तन हेतु सुरक्षा उपायों के निर्माण का निर्देश दिया।

संबंधित मुद्दे

- **शासन:** डिजिटल मीडिया में नियामकीय चुनौतियाँ; धारा 69A के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियाँ; अवरोधन आदेशों में पारदर्शिता।
- **राजनीति:** मौलिक अधिकारों और प्रतिबंधों के बीच संतुलन; कार्यपालिका कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा; अनुपातिकता का सिद्धांत।
- **समाज:** अनियंत्रित डिजिटल सामग्री का प्रभाव; बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा; डिजिटल युग में बदलते नैतिक मानक।
- **नैतिकता:** जिम्मेदार सामग्री निर्माण, प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही, डिजिटल आत्म-नियमन बनाम राज्य सेंसरशिप।

आगे की राह

- अश्लीलता को परिभाषित करने हेतु स्पष्ट और पारदर्शी मानक।
- अवरोधन निर्णयों के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षण तंत्र।
- अधिक सशक्त आयु सत्यापन प्रणाली।
- डिजिटल साक्षरता अभियान।
- आत्म-नियमन, वैधानिक पर्यवेक्षण और न्यायिक सुरक्षा उपायों को संयोजित करने वाला संतुलित नियामकीय मॉडल।

स्रोत: IE

विदेशी मादक पदार्थ अपराधियों के शीघ्र निर्वासन हेतु केंद्र का निर्देश

समाचार में

- गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मादक पदार्थ मामलों में संलिप्त विदेशी नागरिकों के

निर्वासन की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया है।

विदेशी अपराधियों पर आँकड़े

- वर्ष 2024 में 660 विदेशी नागरिक मादक पदार्थ अपराधों में गिरफ्तार किए गए, जिनमें अधिकांश नेपाल, नाइजीरिया, म्यांमार, बांग्लादेश, आइवरी कोस्ट और घाना से थे।
- एनसीआरबी (2023) के अनुसार भारतीय जेलों में 6,956 विदेशी कैदी हैं: 1,499 दोषी, 5,167 विचाराधीन और 25 निरुद्ध।
- पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इन कैदियों का 65% से अधिक हिस्सा है।

निर्वासन की आवश्यकता

- **लंबे कानूनी प्रवास की रोकथाम:** न्यायालय में विलंब के कारण विदेशी अपराधी वर्षों तक भारत में रहते हैं, जिससे जेलों और न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा और जनस्वास्थ्य:** मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क प्रायः संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़े होते हैं, जो केवल नशीले पदार्थों से परे जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- **निवारक प्रभाव:** शीघ्र निर्वासन भारत की मेहमाननवाज़ी और वीज़ा प्रणाली के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने वाला सशक्त संदेश देता है।

चुनौतियाँ

- **कूटनीतिक संवेदनशीलताएँ:** निर्वासन में विदेशी सरकारों के साथ समन्वय आवश्यक होता है, जो कभी-कभी तनावपूर्ण संबंधों के कारण जटिल हो जाता है।
- **मानवाधिकार चिंताएँ:** निर्वासन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें विधिक प्रक्रिया और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित हो।
- **समन्वय की कमी:** एनसीबी, राज्य पुलिस और आव्रजन प्राधिकरण जैसी कई एजेंसियों के बीच सुचारु सहयोग की आवश्यकता होती है, जो प्रायः अनुपस्थित रहता है।
- **संसाधन दबाव:** निर्वासन तक विदेशी अपराधियों की निगरानी कानून प्रवर्तन और जेल संसाधनों पर भार डालती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025:** 1 सितंबर 2025 से प्रभावी, यह अधिनियम कुछ अपराधों के निपटारे की अनुमति देता है, जिससे लंबी सुनवाई के बिना शीघ्र निर्वासन संभव होता है।
- **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP):** अभियोजन वापसी, जमानत पर मामले, चल रही सुनवाई, अपील और न्यायालय द्वारा निर्देशित वीज़ा प्रवास को कवर करती है।
- **जिला एसपी/डीसीपी:** अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
- **ट्रैकिंग एवं वीज़ा प्रबंधन:** अपराधों में आरोपित विदेशी नागरिकों के वीज़ा तुरंत एफआरआरओ द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं।
  - जाँच और सुनवाई के दौरान इन व्यक्तियों की निगरानी अनिवार्य है।
  - एसओपी यह सुनिश्चित करती है कि विदेशी नागरिकों से संबंधित मामलों का उचित प्रबंधन हो, जिनमें अभियोजन वापसी हेतु न्यायालय की सहमति आवश्यक हो।
- **गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि छोटे अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्तियों को सज़ा पूरी होते ही या जुर्माना भरते ही तुरंत निर्वासित किया जाए।
  - यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया है, तो व्यक्ति को निर्वासित कर ब्लैकलिस्ट किया जाए।
- **पुलिस की भूमिका:** राज्यों की पुलिस ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर रही है और अभियोजन वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रही है, ताकि कानूनी विलंब के कारण लंबे प्रवास से बचा जा सके।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- भारत में विदेशी मादक पदार्थ अपराधियों का निर्वासन न्यायालय और जेलों के भार को कम करने, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क को बाधित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- यद्यपि न्यायिक विलंब, कूटनीतिक समन्वय और मानवाधिकार चिंताएँ चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, सरकार के हालिया त्वरित निर्वासन उपाय कानून प्रवर्तन एवं

अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास हैं।

स्रोत :IE

संक्षिप्त समाचार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के 75 वर्ष

समाचार में

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) वर्ष 1952 में प्रारंभ होने के 75 वर्ष पूरे होने का स्मरण कर रहा है।

ESIC के बारे में

- ESIC श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जो ईएसआई योजना का संचालन करता है।
- इसकी उत्पत्ति 1944 में प्रो. बी.पी. अडारकर की *स्वास्थ्य बीमा रिपोर्ट* ("छोटा बेवरेज") से हुई, जिसने स्वतंत्रता-उपरांत भारत के कल्याणकारी मॉडल को प्रभावित किया।
- डॉ. सी.एल. कटियाल ESIC के प्रथम महानिदेशक रहे।
- **योगदान:** कर्मचारियों से 0.75% और नियोक्ताओं से 3.25% (कुल 4%)।

मुख्य लाभ एवं कार्य

- **चिकित्सीय देखभाल:** बीमित व्यक्तियों (IPs) और उनके परिवारों को प्राथमिक से तृतीयक स्तर तक पूर्ण देखभाल।
- **रोग एवं मातृत्व लाभ:** प्रमाणित रोग या मातृत्व अवधि हेतु वेतन प्रतिस्थापन (नकद)।
- **विकलांगता लाभ:** रोजगार चोट से स्थायी विकलांगता पर आजीवन पेंशन।
- **आश्रित लाभ:** यदि बीमित व्यक्ति कार्य-संबंधी चोट या व्यावसायिक रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है तो परिवार को आर्थिक सहायता।
- **निवारक स्वास्थ्य उपाय:** 40+ आयु के बीमित श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण (नए श्रम संहिताओं के माध्यम से लागू)।

स्रोत: PIB

किशोरियों हेतु निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान

संदर्भ

- केंद्र सरकार 14 वर्ष आयु की लड़कियों को लक्षित करते हुए *मानव पैपिलोमा वायरस (HPV)* के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान प्रारंभ करने जा रही है। यह गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है।

मानव पैपिलोमा वायरस (HPV) के बारे में (

- HPV एक सामान्य यौन-संचारित संक्रमण है। अधिकांश संक्रमण लक्षणहीन और स्व-सीमित होते हैं।
- **प्रकृति:** HPV एक डीएनए वायरस है, जो *पैपिलोमाविरिडे* परिवार से संबंधित है।
- **HPV से उत्पन्न रोग:**
  - गर्भाशय ग्रीवा कैंसर (95% से अधिक मामलों में HPV से संबंधित)।
  - अन्य कैंसर: गुदा, योनि, वल्वा, लिंग और ओरोफैरिंजियल कैंसर।
  - जननांग मस्से (गैर-कैंसरकारी)।
- उच्च एवं निम्न जोखिम प्रकार:
  - HPV प्रकार 16 और 18 उच्च जोखिम वाले स्ट्रेन हैं, जो भारत में 80% से अधिक गर्भाशय ग्रीवा कैंसर मामलों के लिए उत्तरदायी हैं।
  - प्रकार 6 और 11 निम्न जोखिम वाले स्ट्रेन हैं, जो मुख्यतः जननांग मस्सों का कारण बनते हैं।
- **HPV टीकाकरण:** यह सबसे खतरनाक HPV प्रकारों से संक्रमण को रोकता है। यौन जीवन प्रारंभ होने से पूर्व (9–14 वर्ष आयु) में दिया जाना सबसे प्रभावी है।

गर्भाशय ग्रीवा कैंसर

- यह कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में प्रारंभ होता है।
- गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का निचला संकरा भाग है, जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है।
- भारतीय महिलाओं में यह दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 80,000 नए मामले दर्ज होते हैं।

स्रोत: BS

भारत में कॉफी–चिकोरी लेबलिंग के नए नियम

संदर्भ

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कॉफी–चिकोरी मिश्रणों के लिए नए लेबलिंग नियम अनिवार्य किए हैं, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और पैकेज्ड खाद्य क्षेत्र में भ्रामक प्रथाओं को रोका जा सके।

चिकोरी क्या है?

- चिकोरी *सिचोरियम इंटीबस* नामक शाकीय पौधे की भुनी हुई जड़ से प्राप्त होती है, जो डेज़ी परिवार से संबंधित है।
- इसका स्वाद कॉफी जैसा होता है, किंतु इसमें कैफीन नहीं होता। कॉफी के साथ मिश्रित होने पर यह रंग, गाढ़ापन, झाग और सुगंध को बढ़ाती है।
  - यद्यपि सेवन हेतु सुरक्षित है, अधिक मात्रा में चिकोरी कैफीन की मात्रा घटाती है और कॉफी के विशिष्ट स्वाद को बदल देती है।
- चिकोरी यूरोप और एशिया की मूल निवासी है और अब भारत सहित विश्व के कई हिस्सों में उगाई जाती है।
- इसकी जड़ में *इन्यूलिन* होता है, जो एक स्टार्चयुक्त घुलनशील फाइबर है और प्रीबायोटिक गुणों के कारण आंत स्वास्थ्य को समर्थन देता है। इसका हल्का रेचक प्रभाव होता है और यह सूजन कम करने में सहायक है। चिकोरी बीटा-कैरोटीन का भी समृद्ध स्रोत है।

स्रोत: LM

केरल का परिवर्तित नाम केरलम

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने *केरल* का नाम बदलकर *केरलम* करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

आधुनिक राज्य केरल का गठन

- **स्वतंत्रता-पूर्व पृष्ठभूमि:** मलयालम-भाषी लोग ऐतिहासिक रूप से अनेक राज्यों और रियासतों में विभाजित थे। प्रमुख क्षेत्र थे — मालाबार (ब्रिटिश शासन के अधीन) और त्रावणकोर व कोचीन की रियासतें।
  - 1920 के दशक में *ऐक्य (एकीकृत) केरल आंदोलन* ने मलयालम भाषियों के लिए एक राज्य की माँग की।
  - 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन का विलय कर *त्रावणकोर–कोचीन राज्य* बनाया गया।
- **राज्य पुनर्गठन आयोग:** केंद्र सरकार ने फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में आयोग नियुक्त किया।
  - आयोग ने एकीकृत केरल राज्य के गठन का प्रस्ताव दिया।
- **राज्य का औपचारिक गठन:** 1 नवंबर 1956 को *राज्य पुनर्गठन अधिनियम* के अंतर्गत केरल राज्य का गठन हुआ। इसमें शामिल थे:
  - मालाबार ज़िला (मद्रास राज्य से)।
  - त्रावणकोर–कोचीन राज्य (कुछ तमिल-बहुल क्षेत्रों को छोड़कर)।

भारत में राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 3:** संसद को अधिकार देता है कि वह —
  - किसी राज्य से क्षेत्र अलग कर नया राज्य बनाए;
  - दो या अधिक राज्यों या उनके भागों का विलय कर नया राज्य बनाए;
  - किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाए या घटाए;
  - किसी राज्य की सीमाएँ बदले;
  - किसी राज्य का नाम बदले।
- शर्तें:
  - ऐसा विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
  - राष्ट्रपति विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित राज्य विधानसभा को अपनी राय देने हेतु भेजते हैं।
  - राष्ट्रपति (या संसद) राज्य विधानसभा की राय से बाध्य नहीं होते।
- **अनुच्छेद 4:** संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के नाम बदलने हेतु बनाए गए कानून संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) नहीं माने जाएँगे। ऐसे कानून साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया से पारित किए जा सकते हैं।

स्रोत: IT

न्यायोचित दंड का सिद्धांत

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों की सजा कम करने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। स्थिति

की गंभीरता को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सजा निर्धारण के संबंध में न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश तय किए।

न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश

- न्यायालयों का प्राथमिक कर्तव्य "न्यायोचित दंड" (Just Deserts) के सिद्धांत का पालन करना होना चाहिए।
- "न्यायोचित दंड(Just Deserts)" दंड का एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार व्यक्ति को केवल इसलिए दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि वह इसका पात्र है, और दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए।
- इसे प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत (Retributive Theory of Punishment) भी कहा जाता है।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों, साक्ष्यों तथा निचली अदालत के निष्कर्षों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।
- सजा इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि जनता का कानून और प्रशासन पर विश्वास बना रहे; हालांकि न्यायालय को जनभावनाओं या आक्रोश से प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए।

स्रोत: IE

भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI)

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एनआरआई के समान अधिकारों की मांग की थी ताकि वह भारत में वकालत कर सके और राज्य बार काउंसिल की सदस्यता प्राप्त कर सके।

OCI योजना

- अगस्त 2005 में शुरू की गई।
- इसमें उन सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) का पंजीकरण किया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे या उस तिथि पर नागरिक बनने के पात्र थे।
- एक OCI कार्डधारक, जो मूलतः विदेशी पासपोर्ट धारक होता है, को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्यीय आजीवन वीज़ा मिलता है और उसे किसी भी अवधि के प्रवास के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण के साथ पंजीकरण से छूट मिलती है।

OCI कार्डधारकों के नियम (2021 संशोधन)

- संरक्षित, प्रतिबंधित या निषिद्ध क्षेत्रों में जाने के लिए अनुमति आवश्यक।
- शोध, धार्मिक प्रचार, पत्रकारिता या तबलीगी गतिविधियों के लिए विशेष अनुमति आवश्यक।
- आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में OCI को विदेशी नागरिक माना जाएगा (FEMA, 2003 के अंतर्गत)।
- **पात्रता प्रतिबंध:** पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे माता-पिता/दादा-दादी वाले व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते।
  - विदेशी सैन्यकर्मी (सेवारत या सेवानिवृत्त) अयोग्य।
  - भारतीय नागरिक या OCI के जीवनसाथी आवेदन कर सकते हैं, यदि विवाह कम से कम दो वर्ष पुराना हो।

OCI कार्डधारकों के अधिकारों की सीमाएँ

- मतदान नहीं कर सकते।
- संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं बन सकते।
- संवैधानिक पद (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय/हाई कोर्ट न्यायाधीश) नहीं ले सकते।
- सामान्यतः सरकारी रोजगार नहीं कर सकते।

न्यायालय की हालिया टिप्पणी

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि OCI का दर्जा कुछ विशेषाधिकार देता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता के बराबर नहीं है।
- भारतीय नागरिकता अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत नामांकन के लिए अनिवार्य है।

स्रोत: AIR

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मछली पकड़ने हेतु एक्सेस पास का राष्ट्रीय शुभारंभ

संदर्भ

- हाल ही में सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मछली पकड़ने हेतु एक्सेस पास का शुभारंभ सभी 13 तटीय राज्यों में किया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ)

- EEZ समुद्र का वह क्षेत्र है जो किसी देश के तट से 200 समुद्री मील तक फैला होता है, जहां उस देश को समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग का संप्रभु अधिकार होता है।
- देश 200 समुद्री मील से अधिक क्षेत्र का दावा कर सकते हैं यदि इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर UN महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग(CLCS) को प्रस्तुत किया जाए।
- भारत के समुद्री दावे: 12 समुद्री मील का प्रादेशिक समुद्र और 200 समुद्री मील का EEZ।

एक्सेस पास

- EEZ नियमों के तहत भारतीय मछुआरों को सशक्त बनाने का प्रमुख साधन।
- यांत्रिक और बड़े मोटर चालित जहाजों के लिए आवश्यक।
- नि:शुल्क उपलब्ध, ReALCRaft पोर्टल के माध्यम से।
- उद्देश्य:
  - निकट-तट से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की ओर संक्रमण।
  - मछुआरों को सहकारी समितियों और FFPOs में संगठित करना।
  - आय बढ़ाना, बेहतर मूल्य प्राप्त करना और निर्यात-अनुपालन प्रथाओं (जैसे ट्रेसबिलिटी एवं प्रमाणन) को बढ़ावा देना।

ReALCRaft पोर्टल

- NIC और मत्स्य विभाग द्वारा विकसित राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच।
- मछली पकड़ने वाले जहाजों का पंजीकरण, लाइसेंसिंग, स्वामित्व हस्तांतरण आदि की सुविधा।
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(MPEDA) और निर्यात निरीक्षण परिषद(EIC) से एकीकृत।
- मछली पकड़ने और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु आवश्यक है।
- यह डिजिटल प्रणाली ट्रेसबिलिटी, स्वच्छता अनुपालन और पर्यावरण-लेबलिंग सुनिश्चित करती है, जिससे भारतीय समुद्री उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

स्रोत: PIB

धर्म गार्जियन अभ्यास

संदर्भ

- भारत–जापान संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास *धर्म गार्जियन* का सातवाँ संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में प्रारंभ हुआ।

परिचय

- *धर्म गार्जियन* अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी।
- यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और बारी-बारी से भारत तथा जापान में होता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करना तथा दोनों सेनाओं की संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे अर्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों का संचालन कर सकें।

क्या आप जानते हैं?

- *JIMEX* भारत और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (JMSDF) के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

स्रोत: DDNews

कार्यात्मक विविधता

संदर्भ

- एक अध्ययन में पाया गया कि भूमि उपयोग परिवर्तन और ऊँचाई में बदलाव उत्तर-पश्चिमी भारतीय हिमालय में मकड़ी समुदायों को पुनः आकार दे रहे हैं।

कार्यात्मक विविधता क्या है?

- कार्यात्मक विविधता मुख्यतः उन भूमिकाओं से संबंधित है जो प्रजातियाँ किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निभाती हैं, तथा उनके भौतिक (आकृतिक) या व्यवहारिक (जीवन इतिहास) गुण जो उन्हें इन भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाते हैं।

- प्रत्येक प्रजाति अलग-अलग पारिस्थितिकीय कार्य करती है, जो मिलकर कार्यात्मक विविधता में योगदान देती है।
- उच्च कार्यात्मक विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिर बनाती है, क्योंकि यदि कोई प्रजाति स्थानीय रूप से विलुप्त हो जाए तो समान भूमिका निभाने वाली दूसरी प्रजाति उसकी भरपाई कर सकती है।
- निरंतर कृषि विस्तार और अन्य मानवजनित गतिविधियाँ जटिल प्राकृतिक परिदृश्यों को सरल बना सकती हैं, जिससे हिमालयी जैव विविधता कम लचीलेपन वाले नए कार्यात्मक ढाँचों की ओर बढ़ सकती है।

स्रोत: DTE

■■■■

NEXT IAS